

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का विवरण

बजट सत्र-मार्च-2017

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-3038 की जानकारी परिशिष्ट-'अ'
द्वारा :- डॉ० गोविन्द सिंह

क्र	अधिकारी का नाम	आरोप पत्र/कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का दिनांक	जांचकर्ता अधिकारी नियुक्ति दिनांक	जांच पूर्ण न होने के कारण	टिप्पणी
1	श्री दीपक असाई, अधीक्षण यंत्री	शासन पत्र क्रमांक-एफ-17-8/2010/स्था/19 दिनांक 24.4.2010 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया।	शासन आदेश दिनांक 13.6.2012 द्वारा आयुक्त विभागीय जांच को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।	प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 9.11.2012 को प्रस्तुत किया गया है।	प्रकरण में लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध होने से प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेते हुये लोकायुक्त संगठन के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।
2	श्री रामदास चौधरी कार्यपालन यंत्री	एफ-17-07/2014/स्था/19 दिनांक 24.4.2010 को आरोप पत्र जारी किया गया।	शासन आदेश दिनांक 13.6.2012 द्वारा जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।	मान,न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11 (11)/2013/1-10 दिनांक 30.07.2013 के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 10.3.2014 द्वारा जांच की कार्यवाही स्थगित की गई है।	
3	श्री एम.के. शुक्ला, अधीक्षण यंत्री(वि/या.)	शासन पत्र क्रमांक -एफ-17-32/2016/स्था/19 दिनांक 7.2.2017 द्वारा 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी।			

बंदी है तो कल है।

शाप

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

4	श्री राजय खाण्डे, कार्यपालन यंत्री	शासन पत्र क्रमांक-एफ-17-29 /2015/स्था/19 दिनांक 31.8.2015 द्वारा आरोप पत्र जारी।	शासन के संशोधित आदेश दिनांक 15.2.2017 द्वारा श्री जे.सी.भट्ट, सोशल सेफगार्ड एक्सपर्ट म.प्र.स.वि.नि. को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।	-	-
5	श्री ए.के.सिंह, कार्यपालन यंत्री	शासन पत्र क्रमांक-एफ-17-41 /2015/स्था/19 दिनांक 3.10.2015 द्वारा आरोप पत्र जारी।	-	जांच कार्य पूर्ण। अंतिम निर्णय प्रक्रियाधीन है।	
6	श्री एस.के. बंसल, तत्का. प्रभारी कार्यपालन यंत्री	शासन पत्र क्रमांक एफ-17-44 /2015/स्था/19 दिनांक 21.10.2015 द्वारा आरोप पत्र जारी।	आदेश क्रमांक एफ-17-44 /2015/स्था/19 दिनांक 9. 11.2016 द्वारा उप सचिव(स्था) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।	-	-
7	श्री बी.के. विश्वकर्मा, कार्यपालन यंत्री	शासन पत्र क्रमांक-एफ-17-14 /2009/स्था/19 दिनांक 10.9.2012 द्वारा आरोप पत्र जारी।	शासन आदेश दिनांक 5.1. 2015 द्वारा जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।	जांच की कार्यवाही पूर्ण। अपचारी को बचाव हेतु अंतिम अवसर शासन पत्र दिनांक 20.4.2016 द्वारा दिया गया।	अंतिम निर्णय प्रक्रियाधीन है।
8	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, कार्यपालन यंत्री(वि/या)	शासन पत्र क्रमांक-एफ-17-24 /2010/स्था/19 दिनांक 11.5.2015 द्वारा आरोप पत्र जारी।(लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 330/2010) एवं दिनांक 31.8.2015 को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी।	-	अपचारी अधिकारी से उत्तर प्राप्त। लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रकरण में चाही गई जानकारी के संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है।	-


अनुभाग अधिकारी
 कर्मचारी शासन,
 लोक निर्माण विभाग

बेटी है तो कल है।

थाप